

2021/31

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय:- उपखण्ड-अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्ती
सहायक कमिश्नर बस्ती जिला जयपुर

रामगोपाल

धनश्याम

रण संख्या

07/21

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्रवाई	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19 $\frac{3}{21}$	<p>पनावली पोस्ट हुडी वमील गार्डी व डायली सं. 9 का. 12 के वमील उपस्थित। सब काउ में प्रवेशात्र काउ विहीन प्रमाणित से सब वही खातिज हो युमा है अतः उक्त प्रवेशात्र को अपने चलेते का कोई औचित्य नहीं है अतः वमील गार्डी का प्रवेशात्र अत्राप्री निषेधाज्ञा खातिज किया जाता है। न्यायालय द्वारा दिनांक 1.2.21 को जारी स्यात आदेश प्रभाव शून्य होते से निरस्त किया जाता है। पनावली पोस्टल थुमा होकर काउ व वमील गार्डीन वफत हो।</p> <p style="text-align: center;">Kam</p> <p style="text-align: center;">सहायक कमिश्नर बस्ती जिला जयपुर</p>	<p>शिवश्याम</p> <p>शिवश्याम</p> <p>७</p>